न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या:–56/2023 दर्ज दिनांक 05.05.2023

निर्णय दिनांक 23.05.2023

दशरथ सिंह पुत्र किशोर सिंह उम्र 53 वर्ष जाति राजपूत निवासी छावसरी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.

वादी/प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र उगम सिंह उम्र 51 वर्ष जाति राजपूत निवासी छावसरी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं
2. बजरंग सिंह पुत्र उगमसिंह उम्र 58 वर्ष जाति राजपूत निवासी छावसरी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.
3. गुटीराम (फौत)
   - 2/1 बनारसी उर्फ मणकली पत्नी गुटीराम
   - 2/2 सम्पत सिंह पुत्र गुटीराम
   - 2/3 उम्मेद सिंह पुत्र गुटीराम (फौत)
   - 2/3/1 सुमन पत्नी उम्मेद
   - 2/4 नरेश पुत्र गुटीराम

   समस्त जाति जाट निवासी छावसरी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.
4. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा केड
5. तहसीलदार महोदय तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई व्यादेश

निर्णय

दिनांक 23.05.2023

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया है कि उनवानी वादपत्र दशरथ सिंह बनाम ओमप्रकाश आदि बाकायदा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त दावा बहूत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पूरी–पुरी आशा एंव विश्वास है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश का पेश किया कि ग्राम छावसरी पटवार हल्का छावसरी तहसील उदयपुरवाटी में खाता संख्या नया 389 व पुराना खाता संख्या 372 खसरा न. 217 रकबा 0.18 है0, खसरा न. 218 रकबा 0.38 है0, खसरा न. 235 रकबा 0.71 है0, खसरा न. 236 रकबा 0.75 है0 खसरा न. 56 रकबा 0.16 है0 कुल खसरा 5 जिसका कुल रकबा 2.18 है0 भूमि पुख्ता अवस्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 है उक्त भूमि को वादपत्र में विभाजन योग्य भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है तथा उपरोक्त वर्णित भूमि की वर्तमान जमाबन्दी माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ मय दस्तावेज सूची प्रस्तुत है। उपरोक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 की शामलाती संयुक्त खातेदारी की भूमि है उक्त वर्णित भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज है जिस पर वादी अपने हिस्से पर स्वामी व मालिक के रूप में कब्जा काश्त है वादी अपने हिस्से की भूमि में सुधार कार्य करना चाहता है इसलिए वादी ने उक्त भूमि का बंटवारा करवाने के लिए प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने प्रार्थी से कहा कि पांच–सात रोज तहसील में चल कर विधिवत बंटवारा कर लेंगे लेकिन वादी ने दस पन्द्रह दिनों पश्चात् दिनांक 25.04.2023 को पुनः प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने विधिवत बंटवारा करने से साफ इनकार कर दिया तथा वादी को बोले की हमारे पास समय नहीं है हमें बंटवारे से कोई लेना देना नहीं है। उक्त भूमि शामलाती होने के कारण प्रार्थी के हिस्से की भूमि में उपजाऊ मिट्टी तथा प्राकृतिक पैदावार कंटिली झा[illegible] प्रार्थी के हिस्से की भूमि को वेस्ट व डेमेज करने पर आमादा है साथ ही अप्रार्थी कब्जा करने [illegible] है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि विभाजन योग्य व विभाजन योग[illegible] होने के कारण वादी अपने अपने कब्जा काश्त की भूमि को अप[illegible]नुसार सुधार [illegible] व ऋण प्राप्त करने आदि तथा उसकी किस्म परिवर्तन करवाने में आये दिन[illegible] है प्रार्थी के हिस्से व कब्जा काश्त भूमि में आये दिन सीमा को लेकर झगड़ा [illegible] अपने कब्जा काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:22:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन करवाने के लिए प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो उन्होंने मना कर दिया, हम कोई विभाजन नहीं जानते तुम लोग को जो समझ में आये वो कर लेना। अतः गैर कानूनी कब्जा करवाने की धमकी देने के कारण वादिया ने अपने हक अधिकारों की रक्षार्थ यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है। अन्त में प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थी के उपभोग उपयोग में बाधा ना स्वयं डाले ना ही अपने निजी कर्मचारियों, एजेंट आदि से करवाएं भूमि का विक्रय दीगर व्यक्तियों को नहीं करें और मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रतिवादी संख्या 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना प्रार्थनीय है कि उक्त भूमि से सम्बन्धित विक्रय पत्र, रहन, उपहार आदि ना तो स्वयं तस्दीक करें, ना ही अपने नौकर, चाकर एजेंट आदि से ऐसा कृत्य करवाये। अन्य अनुतोष जो प्रार्थी के हक में और माननीय न्यायालय उचित समझे जो, वो जारी किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।
अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद तामिल हाजीर नही अतः इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई ।

बहस प्रार्थना–पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा कथन किया कि कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 की शामलाती संयुक्त खातेदारी की भूमि है उक्त वर्णित भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज है जिस पर वादी अपने हिस्से पर स्वामी व मालिक के रूप में कब्जा काश्त है वादी अपने हिस्से की भूमि में सुधार कार्य करना चाहता है, जिस कारण वादी ने उक्त भूमि का बंटवार करवाने के लिए प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने साफ–साफ इनकार कर दिया कि हमें आपके बंटवारे से कोई लेना देना नहीं है, उक्त प्रतिवादीगण ने बंटवारा करवाने से साफ इनकार कर दिया। अतः प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करवाने से इनकार करने के रोज व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा 3 के वारिसान द्वारा प्रार्थी के हिस्से की भूमि के बेचान की धमकी देने के रोज से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का दावा इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकुक के संबंध में निर्णय तो दावे के विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। विवादग्रस्त भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमाबाजी व विवाद नहीं बढे इसके लिए अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम छावसरी पटवार हल्का छावसरी तहसील उदयपुरवाटी में खाता संख्या नया 389 व पुराना खाता संख्या 372 खसरा न. 217 रकबा 0.18 है0, खसरा न. 218 रकबा 0.38 है0, खसरा न. 235 रकबा 0.71 है0, खसरा न. 236 रकबा 0.75 है0 खसरा न. 56 रकबा 0.16 है0 कुल खसरा 5 जिसका कुल रकबा 2.18 है0 में अनावेदकगण मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(रामसिंह सजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक को 23.05.2023 को मेरे द्वारा अलग से टंकित कराकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:22:24 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह सजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी